रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-127 REGISTERED NO. D. (D.L.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 1987/श्रावण 2, 1909
No. 380] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 1987/SRAVANA 2, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1987

आदेश

का० आ. 739 (अ):—केन्द्रीय सरकार आवश्यक सेवा अधिनियम 1981 (1981 का 40) की धारा 2 के खंड (X) और खण्ड (XVI) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या उसके नियंत्रणाधीन अस्पतालों या चिकित्सालयों में या उसके कार्यकरण के संबंध में, जिनके अन्तर्गत रेल के नियंत्रण के अधीन अस्पताल या चिकित्सालय और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंधों के अधीन प्रशासित

अस्पताल या चिकित्सालय हैं, किसी सेवा में हड़ताल को प्रतिषिद्ध करती है और यह निदेश देती है कि इस आदेश के जारी किए जाने पर :—

(क) उपर निर्दिष्ट आवश्यक सेवाओं में से किसी में नियोजित कोई व्यक्ति न तो हड़ताल पर जाएगा और न हड़ताल पर रहेगा; और

(ख) ऐसी किसी सेवा में नियोजित व्यक्तियों द्वारा इस आदेश के जारी किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात घोषित या प्रारम्भ की गई कोई हड़ताल अवैध होगी।

2. यह आदेश तुरन्त लागू होगा और इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उनके नाम में।

[संख्या जैड. 28015/99/87-एच.]

जे. वासुदेवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 24th July, 1987

ORDER

S.O. 739(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sec. (1) of S. 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981) read with clauses (x) and (xvi) of section 2 of the said Act, the Central Government, being satisfied that in the public interest it is necessary and expedient so to do, hereby prohibits strikes in any service in, or in connection with the working of hospitals or dispensaries established, maintained or controlled by the Central Government including hospitals or dispensaries under the control of the Railways and hospitals or dispensaries administered under the provisions of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and directs that upon the issue of this order—

(a) no person employed in any of the essential services referred to above shall go or remain on strike; and

(b) any strike declared or commenced whether before or after the issue of this Order by persons employed in any such service shall be illegal.

2. This Order shall come into force at once and shall be valid for a period of six months from the date of publication of this Order.

By Order and in the name of President.

[No. Z-28015/99/87-H]

J. VASUDEVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987